दिनांक- 15.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 63/26

महोबा पुलिस

साप्ताहिक परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

आज दिनांक 15.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात परेड का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए पुलिस बल को अनुशासन, एकरूपता एवं उत्कृष्ट टर्नआउट बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

परेड उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान परिवहन शाखा का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए वहां रखे अभिलेखों एवं उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान पेशी रजिस्टर का अवलोकन कर अभिलेखों की गुणवत्ता एवं अद्यतन स्थिति की जांच की गई तथा अभिलेखों के समुचित संधारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त डायल-112 वाहनों का निरीक्षण कर उनमें उपलब्ध फर्स्ट एड किट की जांच की गई। इस दौरान सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

दिनांक- 15.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 64/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-महोबकंठ

दहेज उत्पीड़न मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, महोबकंठ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम द्वारा वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल के नेतृत्व में प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्ता रामढकेली उर्फ अवधरानी पत्नी बिन्दा निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम ब्यारजो से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संपादित करते हुए उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. उ0नि0 लालबहादुर थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह थाना महोबकंठ जनपद महोबा
4. म0का0 सीमा यादव थाना महोबकंठ जनपद महोबा

वांछित अभियुक्ता –

रामढकेली उर्फ अवधरानी पत्नी बिन्दा निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

दिनांक- 15.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 65/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर, थाना- कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने 02 वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त सिद्धगोपाल पुत्र स्व0 बिन्दा यादव उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0स0 267/25 धारा 108 बीएनएस में कानपुर बाईपास कस्बा व थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उपनिरीक्षक श्री गौरव चौबे एवं कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त केस संख्या 83/22, अपराध संख्या 206/19, धारा 379/411/413/420 भा.दं.सं., थाना कबरई, जनपद महोबा में राकेश उर्फ पप्पू पुत्र हीरालाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मोहल्ला पांच पहाड़ी, राजीव नगर, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्त-

1. सिद्धगोपाल पुत्र स्व0 बिन्दा यादव उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई महोबा
2. राकेश उर्फ पप्पू पुत्र हीरालाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मोहल्ला पांच पहाड़ी, राजीव नगर,महोबा

गिरफ्तार करने वाली प्रथम पुलिस टीम	गिरफ्तार करने वाली द्वितीय पुलिस टीम
1.उ0नि0 श्री अनूप कुमार पाण्डेय	1. उपनिरीक्षक श्री गौरव चौबे
2. हे0का0 राजीव कुमार	2. का0 शैलेन्द्र कुमार
3. रि0आ0 सौरभ तिवारी	

महोबा पुलिस

दिनांक- 15.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 66/26

पुलिस अधीक्षक महोबा ने छात्राओं को किया प्रेरित, शैक्षिक भ्रमण के दौरान दी महत्वपूर्ण जानकारी

आज दिनांक 15.05.2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर की छात्राओं द्वारा शैक्षिक भ्रमण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए उनका परिचय प्राप्त किया गया तथा उन्हें अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

छात्राओं द्वारा पुलिस सेवा से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए, जिनमें आईपीएस बनने के लिए आवश्यक तैयारी, पुलिस की कार्यप्रणाली, थानों में होने वाले कार्य, अभियोग पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अपराध की रोकथाम हेतु की जाने वाली कार्यवाही प्रमुख रहे। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी प्रश्नों का सरल एवं सारगर्भित उत्तर दिया गया, जिससे छात्राएं अत्यंत संतुष्ट एवं उत्साहित नजर आईं।

इस दौरान छात्राओं ने कड़ी मेहनत कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा भी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही, उन्हें शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी प्रदान की गई तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें यह भी प्रेरित किया गया कि वे स्वयं जागरूक रहें तथा समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने में योगदान दें।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड, पीआरओ श्री राहुल मिश्र सहित विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती कल्पना तिवारी, अध्यापक श्री हरिओम तिवारी एवं अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं।